

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-216 / 2006

संस्थित दिनांक-25.04.2006

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी बिरसा / दमोह (सामान्य),  
 उत्तर वन मण्डल बालाघाट जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- परिवादी

// विरुद्ध //

- 1-साहब पिता सावल गोंड, उम्र 35 वर्ष,  
 निवासी-ग्राम अजगरा, थाना बिरसा,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)
- 2-जहरसिंह पिता पिट्टनसिंह गोंड, उम्र 55 वर्ष,  
 निवासी-ग्राम अजगरा, थाना बिरसा,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)
- 3-सुखराम पिता रामसिंह गोंड, उम्र 37 वर्ष,  
 निवासी-ग्राम अजगरा, थाना बिरसा,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)
- 4-गोविंद पिता सम्हारूसिंह गोंड, उम्र 50 वर्ष,  
 निवासी-ग्राम अजगरा, थाना बिरसा,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)
- 5-चंदन पिता सुकलू सिंह गोंड, उम्र 45 वर्ष,  
 निवासी-ग्राम अजगरा, थाना बिरसा,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)
- 6-किसन पिता कप्तानसिंह गोंड, उम्र 46 वर्ष,  
 निवासी-ग्राम अजगरा, थाना बिरसा,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- आरोपीगण

काशीराम पिता बारेलाल गोंड,  
 निवासी-ग्राम अजगरा, थाना बिरसा,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- आरोपी फौत घोषित

## // निर्णय //

(आज दिनांक-05/12/2014 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-51 एवं सहपठित धारा-2(16)(बी) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-16.12.2005 को समय 7:00 बजे स्थान वन परिक्षेत्र बिरसा दमोह के कक्ष क्रमांक-1689 के किनारे राजस्व क्षेत्र से गुजर रही विद्युत लाईन में एक राय होकर वन्य प्राणी का शिकार करने के उद्देश्य से अवैध रूप से जी.आई.तार डालकर शिकार करने का प्रयास किया।

2— संक्षेप में परिवादी पक्ष का परिवादी इस प्रकार है कि परिवादी वन परिक्षेत्र बिरसा/दमोह सामान्य के अंतर्गत वन परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ होकर राज्य शासन द्वारा अधिकृत होते हुये उक्त परिवाद पत्र पेश किया गया है। परिवादी ने अपने परिवाद में उल्लेख किया है कि ग्राम वन समिति पंडरी पथरा के सदस्यों द्वारा रात्रिकालीन गश्ती के दौरान आरक्षित वन कक्ष क्रमांक-1689 के किनारे राजस्व क्षेत्र से गुजर रही 1100 के.व्ही. विद्युत लाईन से लगे जी.आई. तार को देखकर आरोपीगण को पकड़ने का प्रयास किया गया, किन्तु आरोपीगण भाग गये। उक्त घटना की सूचना उनके द्वारा वन सुरक्षा समिति पंडरी पथरा के सुरक्षा श्रमिक सुदरू तथा वनरक्षक तिर्जुन सिंह मेरावी को दी गई। वनरक्षक ने सुबह 7:00 बजे मौके पर पहुंचकर जप्तीनामा, मौके का पंचनामा तैयार कर दिनांक-16.12.2005 को अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पी.ओ.आर.क्रमांक-3966/20, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-2, 39, 51, 52 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण के द्वारा बिजली की बड़ी लाईन से जी.आई.तार लगाकर वन्य प्राणियों का शिकार करने का प्रयास किया। विवेचना के दौरान आरोपीयो का पता लगाने पर आरोपीगण से पूछताछ में उन्होंने बिजली की बड़ी लाईन से जी.आई.तार जोड़कर जंगली जानवर को मारने का प्रयास किया। आरोपीगण द्वारा अपना जुर्म कबूल किये पर स्वीकारोक्ति के आधार पर दिनांक-24.12.2005 को आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर. क्रमांक-3966/21, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-2, 39, 51, 52 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का पंचनामा, मौके का पंचनामा, आरोपीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— विचारण के दौरान आरोपी काशीराम को फौत घोषित किया गया है। शेष आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 (संशोधित 2003, 2006) की धारा-51 एवं सहपठित धारा 2(16)(बी) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-16.12.2005 को समय 7:00 बजे स्थान वन परिक्षेत्र बिरसा दमोह के कक्ष क्रमांक-1689 के किनारे राजस्व क्षेत्र से गुजर रही विद्युत लाईन में एक राय होकर वन्य प्राणी का शिकार करने के उद्देश्य से अवैध रूप से जी.आई.तार डालकर शिकार करने का प्रयास किया ?

### विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— परिव्रादी का मामला आरोपीगण के विरुद्ध मात्र यह है कि उन्होंने घटना दिनांक, समय व स्थान में राजस्व क्षेत्र से गुजर रही विद्युत लाईन में एक राय होकर वन्य प्राणी का शिकार करने के उद्देश्य से अवैध रूप से जी.आई.तार डालकर शिकार करने का प्रयास किया। तिरजूसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-16.12.2005 को शेरपार बीट में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था। वह आरोपीगण को जानता है। आरोपीगण ने कक्ष क्रमांक-1689 की बड़ी बिजली लाईन से जी.आई.तार बिछाया था। उक्त तार आरोपीगण ने वन्य प्राणी का शिकार के लिये बिछाया था। वन सुरक्षा समिति के सदस्य सुमरूसिंह ने बतलाया था कि कक्ष क्रमांक-1689 की बिजली लाईन से शिकार करने के उद्देश्य से लगाये हैं। वन श्रमिक ने दिनांक-16.12.2005 को सुबह 7 बजे आया था। वह मौके पर 15 मिनट बाद पहुंच गया था, उसने देखा था कि वन विभाग की भूमि पर तार बिछे हुये थे और लगे हुये थे। जब वह मौके पर गया था, उस समय बिजली के तार जुड़े हुये नहीं थे। जिस स्थान पर तार बिछे हुये थे वहां सायकल रखी हुई थी, लेकिन मौके पर कोई आरोपी नहीं था। उसने मौके पर से सायकल जप्त किया था। उसने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पी.ओ.आर. प्रदर्श पी-1 काटा था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी काशीराम सायकल का पता लगाने ग्राम गर्गाटोला आया था तथा उसने बतलाया था कि सायकल उसकी है। प्रदर्श पी-2 का पी. ओ.आर. आरोपी काशीराम के विरुद्ध काटा गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मौके पर आरक्षित वन के अंदर 66.60 मीटर, 70 मीटर, 46.60 मीटर, 11.40 मीटर, 67.10 मीटर, 55.20 मीटर 6 बंडल तार तथा 4 नग सायकल एटलस, एवन, हीरोजेट, 2 नग कम्बल, एक हसिया, एक खाली बोरी, बांस, कांच की छोटी शीशी 12 नग जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। डिप्टी साहब ने मौके का पंचनामा प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अपना कथन प्रदर्श पी-5 लिखकर दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी काशीराम ने उसे बतलाया था कि वे 7 लोग थे, जिन्होंने तार बिछाया था। आरोपी काशीराम ने उक्त बात उपसरपंच सुखीलाल के घर पर बतलाया था।

6— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आरोपीगण से जप्ती की कार्यवाही नहीं की गई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर लोग आते-जाते रहते हैं। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपीगण के द्वारा कथित जी.आई.तार लगाये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं तथा साक्षी ने यह भी प्रकट नहीं किया

है कि किस शंका के आधार पर आरोपी को मामले में अभियोजित किये जाने हेतु पी.ओ. आर. काटा था।

7— सुखीलाल (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। आरोपीगण के पास से उन लोगों ने तार पकड़े थे, जिसमें खैरवाचक भी था। जंगल के अंदर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-9 बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने प्रदर्श पी-1 व प्रदर्श पी-2 का पी.ओ.आर. तैयार किया गया था। पंचनामा प्रदर्श पी-4 उसके सामने तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रदर्श पी-4 में क्या लिखा हुआ था, उसे नहीं बतलाया गया था। पंचनामा प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी-6 का पंचनामा तैयार करते समय आरोपीगण मौके पर नहीं थे। उसे सिंगरुसिंह ने तार लगे होने की बात बताया था। उसने कोई बयान नहीं दिया था। उसने बयान में नहीं बताया था कि आरोपीगण पकड़े गये थे। साक्षी को प्रदर्श पी-7 का बयान पढ़कर बताये जाने पर साक्षी ने ऐसे बयान देने से इंकार किया है। बयान प्रदर्श पी-7 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने प्रदर्श पी-8 से प्रदर्श पी-13 पर उसने रेंज आफिस में कोरे कागज पर किया था। इस प्रकार साक्षी के कथन से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने मौके पर किसी भी व्यक्ति को जी.आई.तार लगाते हुये नहीं देखा, बल्कि वन विभाग वालों के कहने पर कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दिये थे। इस प्रकार साक्षी के कथन से परिवादी पक्ष को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता।

8— सुन्दरसिंह (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। जंगल तार जप्त हुआ था, जिसका जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने प्रदर्श पी-1 व प्रदर्श पी-2 का पी.ओ.आर. नहीं काटा गया था। उसने फारेस्ट विभाग को जंगल में तार लगे होने की सूचना दिया था। उक्त तार जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-4 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे मौके पर आरोपीगण नहीं दिखाये गये थे। पंचनामा प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पंचनामा प्रदर्श पी-6 उसे पढ़कर नहीं बताया गया था। उसके सामने साक्षियों के बयान लिये गये थे। साक्षी ने अब कहा कि नहीं लिया गया था। उसने बयान नहीं दिया था। प्रदर्श पी-8 के बयान पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने रेंज आफिस में हस्ताक्षर किया था, किन्तु उसमें क्या लिखा था उसे नहीं बतलाया गया था। उसने फारेस्ट वालों को नहीं बताया था कि आरोपीगण ने मौके पर जाकर तार के बारे में बताया था। साक्षी को प्रदर्श पी-8 का बयान पढ़कर बताये जाने पर उसने सही होना स्वीकार किया। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि किसने तार बिछाया था, वह देख नहीं सका था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने तार निकालकर सुखीलाल के घर पर रख दिया था। इस प्रकार साक्षी के कथन से परिवादी पक्ष को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता।

9— गुलाबसिंह (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। जंगल में तीन-चार वर्ष पहले बिजली के तार से आरोपीगण ने करंट बिछाये थे। घटना स्थल पर 4 नग सायकल, तार टार्च मिला था, उस समय मौके



पर कोई आरोपीगण नहीं मिले थे। उसके पंचनामा प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपीगण उन्हें घटना स्थल ले गये थे, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी-6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसने अपना बयान प्रदर्श पी-14 दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि मौके पर कोई आरोपी नहीं मिला था और पंचनामा की कार्यवाही के समय आरोपीगण नहीं थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मामले में कार्यवाही फारेस्ट के चपरासी सुन्दरसिंह के कहने पर हुई थी। इस प्रकार साक्षी के कथन से आरोपीगण के विरुद्ध कथित अपराध किये जाने हेतु कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है।

10— रवनूसिंह (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। सुन्दरसिंह उन्हें जंगल ले गया था, जहां मौके पर तार लगा हुआ था। मौके पर सायकल, तार मिला था, जिसे निकालकर लाये थे। मौके पर आरोपीगण नहीं मिले थे। पंचनामा प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपीगण ने उसे मौके पर नहीं ले गये थे और न ही उसे तार लगाने के बारे में बताये थे। उसने अपना बयान प्रदर्श पी-9 दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि पंचनामा में क्या लिखा था वह नहीं जानता। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि सुन्दरसिंह के कहने पर समिति वालों को ले गये थे। इस प्रकार साक्षी के कथन से आरोपीगण के विरुद्ध कथित अपराध किये जाने हेतु कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है।

11— प्रभूसिंह (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना स्थल पर तार, सायकल, टार्च आदि मिला था, जिसे लेकर वे घर आये थे। उसे चपरासी घटना स्थल पर लेकर गया था। आरोपीगण ने उसे घटना स्थल पर ले जाकर नहीं बताया था कि यहां तार लगे हैं। पंचनामा प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर है। बयान प्रदर्श पी-10 पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने सुखीलाल के घर के पर हस्ताक्षर किया था, जिसे उसे पढ़कर नहीं बताया गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मौके पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इस प्रकार साक्षी के कथन से आरोपीगण के विरुद्ध कथित अपराध किये जाने हेतु कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है।

12— गजानंद (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। आरोपीगण ने क्या किया, उसे कोई जानकारी नहीं है। उसे आरोपीगण के द्वारा तार लगाये जाने की जानकारी नहीं है। उपसरपंच के घर में प्रदर्श पी-4 एवं प्रदर्श पी-6 के पंचनामा में हस्ताक्षर कराये थे। उसने कोई बयान नहीं दिया था। साक्षी को प्रदर्श पी-11 का बयान पढ़कर बताये जाने पर साक्षी ने उक्त बयान न देना व्यक्त किया है। वह न ही रात्रि में गश्त पर था। उसे उक्त बयान पढ़कर नहीं बताया गया था, पंचनामा है कहकर बताया गया था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि इस प्रकार साक्षी के कथन से आरोपीगण के विरुद्ध कथित अपराध किये जाने हेतु कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है।

13— चन्द्रकांत (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता। घटना करीब 3-4 वर्ष पूर्व की है। वह उस समय उपसरपंच के पद पर पदस्थ था। फारेस्ट अधिकारी यादव द्वारा उसे बतलाया गया था कि आरोपीगण ने जंगल में तार डाले हैं। आरोपीगण को उसके सामने गिरफ्तार नहीं किया गया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-15 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उक्त अपराध में लिप्त होने वाली बात बतायी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने वन विभाग के कार्यालय में गिरफ्तारी पंचनामा में हस्ताक्षर किया था। इस प्रकार साक्षी के कथन से आरोपीगण के विरुद्ध कथित अपराध किये जाने हेतु कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है।

14— चैनसिंह (अ.सा.9) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता। आरोपीगण उसके गांव के ही हैं। घटना करीब 2-3 वर्ष पूर्व की है। गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-15 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने हस्ताक्षर किस संबंध में किया था, उसे आज ध्यान नहीं है। साक्षी ने आगे यह भी कहा कि आरोपीगण जानवरों को फंसाने का अपराध कर रहे थे। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण को पहले से लेकर आये थे और उसने यादवजी के कहने पर हस्ताक्षर किया था। इस साक्षी ने आरोपीगण द्वारा मौके पर कथित जी.आई.तार रखे जाने का कथन नहीं किया है, इस कारण साक्षी के आरोपीगण द्वारा कथित अपराध के कारित किये जाने का निराधार रूप से कथन किये जाना प्रकट होता है। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से परिवादी के मामले को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

15— श्यामलाल (अ.सा.10) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। घटना वर्ष 2006 की है। घटना दिनांक को वह, सुन्दर, रौवनी, कुंजीलाल और अन्य लोग के साथ गश्ती पर कलमी टेकरा जंगल गया था। उस समय वहां पर 6-7 लोग थे, जो भाग गये थे। उसे खैरवाचा ने बताया था कि कुछ लोग जंगल में तार खींच रहे थे, जिसमें करेंट था। शिकार करने के लिये तार खींच रहे हैं, कि जानकारी प्राप्त हुई थी। बाद में पता नहीं लग पाया था कि कौन लोग बड़ी लाईन से शिकार करे के लिये तार लगाये थे। उसने अपना बयान प्रदर्श पी-12 दिया वन विभाग के सिपाई को दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त सम्पूर्ण घटना क्रम के संबंध में उसका बयान हुआ था। इस प्रकार साक्षी के कथन से आरोपीगण के विरुद्ध कथित अपराध किये जाने हेतु कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है।

16— नोहरसिंह (अ.सा.11) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को चेहरे से जानता है। आरोपीगण के नाम उसे नहीं मालूम। आरोपीगण ग्राम अजगरा में रहते हैं। घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने कभी किसी भी वन अधिकारी को कोई बयान नहीं दिया था। वह तथा आरोपीगण अलग-अलग गांव में

रहते हैं। उसके सामने आरोपीगण ने कोई बयान नहीं दिया था। साक्षी को प्रदर्श पी-16 का बयान पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसा बयान न देना व्यक्त किया, किन्तु उसने स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। प्रदर्श पी-8 से लगायत प्रदर्श पी-14 पर उसके हस्ताक्षर हैं, किन्तु उसके सामने किसी से भी इस तरह के बयान लिये जाने से साक्षी ने इंकार किया। इस प्रकार साक्षी के कथन से आरोपीगण के विरुद्ध कथित अपराध किये जाने हेतु कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है।

17— उपवन क्षेत्रपाल एस.एन.यादव (अ.सा.12) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-24.12.2005 को बिरसा वृत्त में सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ था। वह आरोपीगण को पहचानता है। उक्त प्रकरण की जांच उसे सौंपी गई थी। जांच में उसने आरोपीगण को उनके बताये अनुसार जंगल लेकर गया था, जहां पर उन्होंने विद्युत लाईन से तार जोड़ा था। आरोपीगण ने घटना स्थल बताया था, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी-6 उसके द्वारा तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पंचनामा प्रदर्श पी-15, नजरी नक्शा प्रदर्श पी-16 उसके द्वारा तैयार किया गया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। जांच के दौरान उसने आरोपी काशीराम का बयान प्रदर्श पी-17 उसके बताये अनुसार लेख किया गया था, जिसमें उसने बताया था कि जंगली जानवर मारने के उद्देश्य से उन्होंने विद्युत लाईन से तार जोड़कर जंगल में बिछा दिया था, किन्तु तार से कोई जंगली जानवर नहीं फंसा था। आरोपी साहबसिंह का बयान प्रदर्श पी-18, आरोपी जहरसिंह का बयान प्रदर्श पी-19, आरोपी सुकमन का बयान प्रदर्श पी-20, आरोपी गोविंद का बयान प्रदर्श पी-21, आरोपी चंदन का बयान प्रदर्श पी-22 एवं आरोपी किशन का बयान प्रदर्श पी-23 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने साक्षी सुखीलाल, सुंदरू, गुलाब, रवनूसिंह, प्रभूसिंह, गजानंद, श्यामलाल, समलसिंह, नोहरसिंह एवं वनरक्षक तिरजनसिंह के बयान उनके बताये अनुसार लेख किया था, जो प्रदर्श पी-7 से लगायत प्रदर्श पी-13 तथा प्रदर्श पी-16 एवं प्रदर्श पी-5 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

18— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना में जप्त सायकल आरोपीगण की है, इसके संबंध में उसने आरोपीगण से कोई रसीद या प्रमाण जप्त नहीं किया। इस साक्षी के द्वारा अनुसंधानकर्ता के रूप में मात्र आरोपीगण का बयान लिये जाने के आधार पर आरोपीगण के द्वारा जंगल में विद्युत लाईन से तार जोड़ने के कथन किये गये हैं। यद्यपि आरोपीगण के द्वारा कथित स्वीकारोक्ति वाले कथन की पुष्टि अन्य स्वतंत्र साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में नहीं की है। साक्षी ने आरोपीगण के कथन को किन साक्षीगण के समक्ष लेख किये गये हैं, इसका खुलासा भी अपनी साक्ष्य में नहीं किया गया है, बल्कि साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि कथित स्वीकारोक्ति वाले कथन किसी भी स्वतंत्र साक्षी के समक्ष लेख नहीं किये गये हैं। इसके अलावा मामले में प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने उक्त स्वीकारोक्ति का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। जिससे उक्त अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है।

19— प्रकरण में आरोपीगण को मौके पर कथित जी.आई.तार डालते हुये किसी साक्षी के द्वारा नहीं देखा गया है। मामले में मात्र शंका के आधार पर आरोपीगण को

अभियोजित किया जाना प्रकट होता है। मामले में आरोपीगण की कथित स्वीकारोक्ति को संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है। वैसे भी मात्र संदेहास्पद स्वीकारोक्ति के समर्थन में प्रत्यक्ष साक्ष्य तथा चक्षुदर्शी साक्षी के अभाव में परिवादी का मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। दण्डिक विधि के अंतर्गत मात्र अधिसंभावना के आधार पर दोषसिद्धि सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इस प्रकार बिना प्रत्यक्ष साक्ष्य एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रमाणित न होने से आरोपीगण के द्वारा कथित अपराध कारित किये जाने की उपधारणा नहीं की जा सकती है।

20— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि परिवादी ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपीगण ने दिनांक-16.12.2005 को समय 7:00 बजे स्थान वन परिक्षेत्र बिरसा दमोह के कक्ष क्रमांक-1689 के किनारे राजस्व क्षेत्र से गुजर रही विद्युत लाईन में एक राय होकर वन्य प्राणी का शिकार करने के उद्देश्य से अवैध रूप से जी.आई.तार डालकर शिकार करने का प्रयास किया। अतएव आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 (संशोधित 2003, 2006) की धारा-51 एवं सहपठित धारा-2(16)(बी) के अपराध के अन्तर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

21— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

22— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति 04 नग सायकल, 06 नग जी.आई.तार बण्डल अपील अवधि पश्चात् राजसात की जावे तथा शेष जप्तशुदा संपत्ति 02 नग कम्बल, 01 नग गमछा, 12 नग छोटी शीशी कांच की, 01 नग खाली बोरी, 18 नग खुट्टियाँ वन विभाग के कार्यालय में सुरक्षार्थ रखी गई है, जो मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जावे तथा सभी जप्तशुदा संपत्ति वन विभाग को ज्ञापन कर संपत्ति न्यायालय में पेश कराया जावे। प्रकरण में अपील होने की दशा में जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट